मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 673/2018 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखंड शासन/अध्यक्ष, नदी कायाकल्प समिति (आर0आर0सी0) की अध्यक्षता में दिनांक 08 जून 2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्री रणवीर सिह चौहान, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखंड शासन।
2. श्री मुकेश कुमार राय, संयुक्त सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखंड शासन।
3. श्री अखिलेश मिश्रा, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखंड शासन।
4. डा0 एस0 पी0 सुबुद्वि, निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तराखंड
5. डा॰ पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. डा॰धीरज पाण्डेय, मुख्य वन संरक्षण (गढ़वाल)।
7. डा॰अंकुर कसंल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
8. श्री डी॰के॰सिंह, सी॰जी॰एम॰, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
9. श्री संजय सिंह, ई॰ई॰, सिंचाई विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. श्री रोहित मीणा, कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, (नमामि गंगे), उत्तराखंड।
11. सुश्री नीतू लक्ष्मी, सी॰एफ॰, यमुना सर्किल, एडिशनल सी॰ई॰ओ॰, कैम्पा।
12. श्री संजय रावत, डी॰जी॰एम॰(टी) सीडकुल, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 673/2018 के क्रम में गठित नदी कायाकल्प समिति (आर0आर0सी0) की दिनांक 19.02.2026 को आयोजित बैठक में निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रगति एवं कार्यवाही सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा की गयी है।

उनके द्वारा यह भी अवगत कराया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2022–23 की जल गुणवत्ता परीक्षण रिर्पोट के आधार पर अक्टूवर 2025 में प्रकाशित रिर्पोट में चार नये प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) चिन्हित किये गये है। नवीन चिन्हित प्रदूषित नदीखण्ड निम्नवत् हैः– यमुना नदी–डाकपत्थर, टौंस नदी–हरिपुर, बाणगंगा नदी–इद्रिशपुर, रामगंगा नदी–कालागढ़। इन चिन्हित चार प्रदूषित नदी खंडों (Polluted River Stretch) में से तीन स्ट्रेच की मोनिटरिग उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरन्तर की जा रही है, जिनमें हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी0ओ0डी0) का स्तर प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) के मानको से काफी कम पाया गया। विगत बैठक के पश्चात भी चिन्हित चारों प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) की मोनिटरिग की गयी तथा चारों स्ट्रेच का बी0ओ0डी0 स्तर प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) के मानकों से काफी कम पाया गया।

उपरोक्त चिन्हित चारों प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) को प्रदूषित नदी खंण्ड श्रेणी से हटाये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया गया है तथा चारों प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) की कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त मोनिटरिग किये जाने की आवश्यकता है। बैठक में उपरोक्त कार्ययोजना बनाये जाने हेतु विभिन्न विभागों के स्तर से प्राप्त की जानी वाली सूचनाओं का भी प्रस्तुतिकरण किया गया।

उपरोक्त के क्रम में बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

File No. ENVI-ECCC/CC/1/2022-XXXVIII-1-Environment Conse... ...ge Department (Computer No. 18043)
Generated from eOffice by ARVIND KUMAR, ARO-Environment Conservation Section-AK, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on ...

(क) पूर्व बैठक दिनांक 19.02.2026 के निर्णयों के अनुपालन में अपेक्षित तेजी लायी जाये, विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की क्षमता उपयोग को बढ़ाये जाने व शुद्धिकृत उत्प्रवाह की रियल टायम मॉनिट्रिंग हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये। इसके साथ–साथ कल्याणी नदी पर निर्मित किये जाने वाले एस.टी.पी. की डी.पी.आर. की प्रगति के सम्बन्ध में भारत सरकार से निरन्तर **follow up** किया जाये व भीमताल में निर्मित/अपग्रेडड एस.टी.पी. का निरंतर अनुश्रवण करते हुये सुनिश्चित किया जाये कि उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप रहे।

(कार्यवाही समस्त आर0आर0सी0 से सम्बन्धित रेखीय विभाग)

(ख) यद्यपि नवीन चिन्हित प्रदूषित नदीखण्डों को सूची से हटाये जाने हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुरोध किया गया है, तथापि चारो प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch) की कार्ययोजना (Action Plan) बनाये जाने की कार्यवाही की जाये। कार्यवृत्त के साथ संलग्न प्रारूप पर विभिन्न रेखीय विभागों से सम्बन्धित सूचनाऐ 15 दिनों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जाये। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचनाओं को संकलित करते हुए प्रदूषित नदी खण्डों की कार्ययोजना बनाते हुए समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त आर0आर0सी0 से सम्बन्धित रेखीय विभाग)

अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(मुकेश कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR RAI
Date: 11-06-2026
1[illegible]:37

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अ[illegible]
संख्या–404203/XXXVIII–1–2026/ई–18043
देहरादूनः दिनांकः– 12. जून, 2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवंज लवायु परिवर्तन निदेशालय, देहरादून।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा परियोजना, उत्तराखण्ड।
3. प्रबंध निदेशक, जल निगम उत्तराखण्ड।
4. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एस॰पी॰एस॰जी॰(नमामी गंगे), उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Akhilesh Mishra
Date: 11-06-2026
1[illegible]

(अखिलेश [illegible] मिश्रा)
उप सचिव।